



# बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र रोड, पटना-800 010

दूरभाष नं०- 0612-2261250/2262265, फ़ैक्स- 0612-2261050

ई-मेल-bspccb@yahoo.com, वेबसाइट- <http://bspccb.bih.nic.in>

संख्या: 12

दिनांक- 31/12/2020


## अधिसूचना

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा औद्योगिक इकाइयों को वर्तमान में ऑनलाईन सहमति प्रबंधन के तहत ऑनलाईन पोर्टल <http://bhocmms.nic.in> पर सशुल्क आवेदन करने पर तथा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाली इकाइयों को सशर्त 'स्थापना' एवं 'संचालन' हेतु क्रमशः 'स्थापनार्थ सहमति' (Consent-to- Establish) तथा 'संचालनार्थ सहमति' (Consent-to-Operate) दी जाती है।

संचालनार्थ सहमति हेतु पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली इकाई को राज्य पर्षद् से एक बार 5 वर्षों के लिए सहमति प्रदान किया जाता है।

इकाई संचालक को पहले संचालनार्थ सहमति के नवीकरण (Renewal) हेतु ऑनलाईन आवेदन करना पड़ता था, जिसका विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन के पश्चात ऑनलाईन के माध्यम से नवीकरण सहमति आदेश निर्गत किया जाता था।

अब दिनांक 01 जनवरी, 2021 से राज्य में उद्यमियों की सुगमता के लिए जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के तहत राज्य पर्षद् से इकाइयों को पूर्व से जारी 'संचालनार्थ सहमति' (Consent-to-Operate) की अवधि समाप्ति के 30 दिन पूर्व नवीकरण (Renewal) के लिए विकल्प चुनकर सशुल्क ऑनलाईन आवेदन देते ही निर्माण प्रक्रिया, उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता आदि यथास्थित रहने पर अवधि विस्तार के साथ 'संचालनार्थ सहमति' का आदेश QR Code कोड के साथ स्वतः (Automatically) ही प्राप्त हो जायेगा।

  
(एस. चन्द्रशेखर)  
सदस्य-सचिव

31/12/20